



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012026-269176  
CG-DL-E-07012026-269176

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2026/पौष 17, 1947

No. 90]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026/PAUSHA 17, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2026

का.आ. 100(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा "कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 2023 का 31) के तहत गठित प्राधिकरण "कोटा विकास प्राधिकरण" (पैन: AAAJK2043D) (जिसे आगे "निर्धारिती" कहा गया है) को उक्त खंड के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के साथ कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 2023 का 31) के तहत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 04 /2026/फा. सं. 300195/72/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।